न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर

बईजलास श्री दीपाशू सांगवान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र – 69/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर		1.सरोज देवी अग्रवाल पत्नि श्री कमलकिशोर जाति अग्रवाल नि. नागौर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 177, 63 (5) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत बेदखली एवं खातेदारी अधिकार समाप्त करने

आदेश

दिनांक –, 12-4-2019

प्रार्थी तहसीलदार नागौर ने यह प्रार्थना पत्र पत्र विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 के प्रस्तुत कर इस्तदुआ की कि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 110/22 रकबा 4.07 बीघा मौजा कुडिया बासनी स्थित है। हल्का पटवारी मानासर की रिपोर्ट दिनांक 12.4.16 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त कृषि भूमि पर प्लोट काट कर बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अकृषि में प्रयोग कर दिया है एवं कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द किया जा रहा है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस तामिल होने के बावजूद भी न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर दिनांक 15.9.2017 को अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में हल्का पटवारी मानासर के बयान करवाये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 नकल खतौनी, प्रदर्श 2 मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत बयान, मौका रिपोर्ट से यह बात साबित होती है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 110/22 रकबा 4.07 बीघा मौजा कुडिया बासनी स्थित कृषि भूमि में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्लॉट काटने का कार्य कर अकृषि भूमि में परिवर्तन कर दिया है एवं कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द कर दिया है।

सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) नागौर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 काश्तकारों द्वारा शर्त भंग करने, अकृषि प्रयोगार्थ लेने व हानिप्रद कार्य करने के कारण उसको कृषि भूमि से बेदखल किये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा कुडिया बासनी स्थित नम्बर नम्बर 110/22 रकबा 4.07 बीघा भूमि सरोज देवी पत्नि कमल किशोर जाति अग्रवाल निवासी नागौर के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी में अप्रार्थी अवैध प्लोटिंग करने के दोषी साबित हो जाने से अप्रार्थी की खातेदारी निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार नागौर को आदेश दिये जाते है की अप्रार्थी की उक्त खातेदारी निरस्त कर बेदखल किया जाकर उक्त भूमि को राजहक में लिये जाने के आदेश दिये जाते है। एवं रिकार्ड मे इंद्राज कर नवीन जमाबंदि मय पी–35 कमांक प्रस्तुत करे। उक्त आदेश की पालना तत्काल की जावे। पालना कर पालना से तीन योम में अवगत करावें।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
नागौर

उक्त निर्णय आज दिनांक 12-4-2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
नागौर